

बल्लभार रिपोर्टें दिए हिकाफ.  
1819/19 को पेश है

क्र.सं.	कार्यवाही
	रिपोर्ट
	व्याज
	गान
	ह
	रि
	रि

1819/19 - क.प्राची इफ्त सीधें ही बहस  
हुनी वही प्राची कर्म के प्रापत्र  
अवली चारा 136 L.A. के  
की तदपो को दोरते हुये कथन  
कर निवेदन किया है कि आग-बीकफर  
के खाला खसरा 390 खसरा नखर  
815, 817, 818, 819 कुल फिलान-पका  
कुल अकला 0.64 है व खाला खसरा  
351 खसरा नखर 816 अकला 334 है  
जो प्राची पुर्वी श्री के निकसे प्राची  
का हिक्का 1/3 रापक विकाह के उरि  
प्राची का नाम रापक विकाह के रापक  
है जबकि माधार काहु विकाह के  
रापक ही है उरि विवाउरुल श्री  
के प्राची खालेदार का नाम राजू का  
के खसरा पर ~~के~~ रापक अंकित किया  
जावे की कृपा कर्ष

~~क~~ पत्रावली एवं रापक विकाह  
के खसरा पर अंकित किया

# फर्द अहकाम


शशिन्द्र कुमार बनाम राधा कृष्ण कनकराव

म न्यायालय

केस संख्या 03/2017

पत्र संख्या 136 LRA C-1

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>श्रीमती राधा कृष्ण कनकराव प्राथमिक न्याय के विभाजन के अंतर्गत शशिन्द्र का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत द्वारा 136 LRA C-1 का आवेदन किया जाण न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः शशिन्द्र का प्राथमिक पत्र आवेदन किया जाकर उसके द्वारा मालमपुर के आवासीय खसरा नम्बर 815, 817, 818, 819 कुल कित- 4 का कुल रकबा 0.6400 अफ. ग. 816 रकबा 3.34 है. जिसका 1/3 के अन्वयेदार राजू नाम के रूपान पर राजेन्द्र राधकर विक्राय के अन्तर्गत कर के सोडिया डिये जाते है पत्रावली केसात अन्तर्गत होणर हुए नम्बर के कार के लया हो विक्राय दफ्तर है किरीप रूप से न्यायालय के लुगाया गया</p>	

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चामुं जिला जयपुर